



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 87/2018

1. लोकेश पुत्र श्री किशनमुरारी जाति धाकड रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. कुन्जबिहारी पुत्र श्री किशनमुरारी जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. किशनमुरारी पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 02.08.2018

निर्णय दिनांक : 31.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक आराजी ग्राम रायथल की जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 54 खसरा नं0 2817 रकबा 7.82 है0 दर्ज रेकार्ड है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित निहित है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी काशत करने हेतु संभला रखी है जिसे वादीगण कई वर्षों से काशत करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्से पर पैतृक हक अधिकार है जिसे वादीगण गत कई वर्षों से काशत करते आ रहे है। अतः बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम रायथल की खाता संख्या 54 खसरा नं0 2817 रकबा 7.82 है0 में हिस्सा 1/3 का प्रत्येक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश दिया जावें व उक्त आराजी में से हिस्सा वादीगण प्रत्येक का 1/3 पृथक पृथक वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के पृथक से खाते दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किया जाकर पृथक से कर्ता पिलाई कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा दिनांक 31.08.2018 को मजमे आम में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा अनुसार वादी नं0

लोकेश पुत्र श्री किशनमुरारी को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से उत्तरी दिशा की 2.60 है० आराजी प्राप्त हुई है जिस पर वादी क्रम 1 को खातेदार घोषित किया जावे। वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी पुत्र श्री किशनमुरारी को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से दक्षिणी दिशा की 2.60 है० आराजी प्राप्त हुयी जिस पर वादी क्रम 2 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 किशनमुरारी पुत्र श्री मोतीलाल को खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से 2.62 है० आराजी मध्य की प्राप्त हुई है जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 किशनमुरारी पुत्र श्री मोतीलाल को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31.08.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अतः सुनी गयी बहस तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायथल की जमाबंदी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 54 खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में वादीगण क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:-

01. वादी नं० 1 लोकेश पुत्र श्री किशनमुरारी को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से उत्तरी दिशा की 2.60 है० आराजी का खातेदार कृषक।
02. वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी पुत्र श्री किशनमुरारी को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से दक्षिणी दिशा की 2.60 है० आराजी का खातेदार कृषक।
03. प्रतिवादी क्रम 1 किशनमुरारी पुत्र श्री मोतीलाल को खसरा नं० 2817 रकबा 7.82 है० में से 2.62 है० आराजी मध्य की आराजी का खातेदार कृषक।

तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय